DELHI POLLUTION CONTROL COMMITTEE

Department of Environment, Govt. of NCT of Delhi
4th, 5th & 6th Floor, ISBT Building, Kashmere Gate, Delhi-110006
(visit us at website: http://dpcc.delhigovt.nic.in/)

PUBLIC NOTICE

Sub: Directions u/s 31(A) of Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981, regarding Ban / to Stop Operation of Electricity Generator Sets run on Diesel / Petrol / Kerosene of all capacities in NCT of Delhi upto 15.03.2018.

Kind Attention: All Individuals/Persons/Owners/Industries/Units/Commercial Establishments/ Organizations/Authorities (Govt. & Private) having Electricity Generator Sets run on Diesel/Petrol/Kerosene and All Market Associations/Industrial Area Associations/Residents Welfare Associations in NCT of Delhi.

Whereas, **Delhi faces grave air pollution particularly in winter season** and level of pollutants like Particulate Matter Concentration(PM 2.5 and PM 10) goes much beyond the prescribed standards for Ambient Air Quality and operation of Electricity Generator Sets run on Diesel/Petrol/Kerosene has been identified as one of the sources of air pollution in Delhi.

And whereas, Hon'ble National Green Tribunal in various orders has directed Govt. of NCT of Delhi and Delhi Pollution Control Committee **(DPCC)** to initiate steps to curb the Fugitive Emissions/Air Pollution in NCT of Delhi.

And whereas, in pursuant to the order dated 02.12.2016 of Hon'ble Supreme Court of India in the matter of M.C.Mehta Vs Union of India & Others regarding air quality, Graded Response Action Plan (GRAP) has been notified by the Ministry of Environment, Forests and Climate Change, Govt. of India on 12.01.2017 for implementation through Environment Pollution (Prevention and Control) Authority (EPCA).

And whereas, **EPCA in its meeting held on 17.10.2017** has decided that in Delhi provisions of very poor and Severe category of **GRAP will be enforced from 17th October, 2017 to 15th March, 2018,** irrespective of Ambient Air Quality Levels in NCT of Delhi.

And whereas, action w.r.t very poor category of Graded Response Action Plan (GRAP) included "Stop use of Diesel Generator Sets" and EPCA in its meeting held on 17.10.2017 has decided that operation of Electricity Generator Sets run on Diesel/Petrol/Kerosene of all capacities will be banned in NCT of Delhi excluding Electricity Generator Sets used for essential services.

In view of the above & in exercise of the powers conferred under section 31(A) of the said Air Act read with Rule 20(A) of the Air (Prevention and Control of Pollution) (Union Territories) Rules, 1983 and keeping in view curbing of high air pollution in Delhi, **DPCC vide letter dated 18.10.2017 (Copy available on website of DPCC: http://dpcc.delhigovt.nic.in/) has banned the operation of Electricity Generator set run on Diesel/Petrol/Kerosene of all capacities in NCT of Delhi excluding Electricity Generator Sets used for essential services such as Medical Purpose (Hospitals/Nursing Homes/Health Care Facilities), Elevators (Lifts)/Escalators & Railway Services/Railway Stations/Delhi Metro Rail Corporation Services including its Trains & Metro Stations, Airport & Inter State Bus Terminus (ISBTs) with immediate effect and upto 15.03.2018.**

Vide said letter Dated 18.10.2017. All the Authorities (Govt. or Private) Persons/Officers in NCT of Delhi have also been directed to stop the use of Electricity Generator Sets run on Diesel/Petrol/Kerosene of all capacities excluding Electricity Generator Sets used for essential services as mentioned above in the above mentioned period with immediate effect and upto 15.03.2018.

The concerned SDMs, Asstt. Commissioner of Police and officers of Municipal Corporations/Local Bodies shall comply with the above mentioned directions and submit daily action taken report to "DPCC" on Email ID: msdpcc@nic.in

In case of non-compliance with the above mentioned Directions u/s 31(A) of Air Act,1981, action as per the provisions contained in Section 37 of the said Air Act, 1981 shall be initiated against the defaulters.

DIP/Shabdarth/2399/17-18

Member Secretary, DPCC

Page 2, Times of India Dated 17.11.2017

दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति

पर्यावरण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

4था, 5वां एवं 6 तल, आईएसबीटी, बिल्डिंग, कश्मीरी गेट, दिल्ली-06

हमारी वेबसाइट देखें: http://dpcc.delhigovt.nic.in

सार्वजनिक सूचना

विषयः वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 (A) के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में सभी क्षमताओं के डीजल/पेट्रोल/केरोसीन से चलने वाले बिजली के जनरेटर सेट्स पर 15.03.2018 तक के लिए प्रतिबन्ध/न चलाने के निर्देश

कृप्या ध्यान दें : सभी व्यक्ति/मालिक/उद्योग/इकाइयों/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान/संगठन/प्राधिकरण (सरकारी और निजी), जिनके पास बिजली उत्पादन करने वाले जनरेटर सेट जो कि डीजल/पेट्रोल/केरोसीन से चलते हैं एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के सभी बाजार संगठन/औद्योगिक क्षेत्र संगठन/निवासी कल्याण संगठन (RWAs)

जबकि दिल्ली को विशेष रूप से सर्दी के मौसम में गंभीर वायु प्रदूषण का सामना करना पड़ता है और वातावरण में प्रदूषण का स्तर जैसे धूल कण का घनत्व (PM 2.5 and PM 10) निर्धारित मानकों से बहुत अधिक हो जाता है और बिजली उत्पादन करने वाले जनरेटर सेट्स जो डीजल, पेट्रोल, केरोसीन से चलते हैं की पहचान दिल्ली में वायु प्रदूषण के स्रोतों में से एक स्रोत के रूप में की गई है।

और जबकि, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने विभिन्न आदेशों में दिल्ली सरकार और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में उत्सर्जन (Fugitive Emissions)/ वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उचित कदम उठाने हेतु निर्देश दिए हैं।

और जबकि एम सी मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया तथा अन्य के मामले में वायु की गुणवत्ता के संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.12.2016 के अनुपालन में पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्गीकृत प्रतिक्रिया कार्य योजना (Graded Response Action Plan (GRAP)) के पर्यावरण प्रदूषण (निवारण और नियंत्रण) प्राधिकरण (EPCA) के माध्यम से कार्यान्वयन के लिए 12.01.2017 को अधिसूचित किया गया है।

और जबकि, पर्यावरण प्रदूषण (निवारण और नियंत्रण) प्राधिकरण (EPCA) की दिनांक 17.10.2017 को हुई मीटिंग में यह निर्णय लिया गया कि GRAP के बहुत ही खराब (very poor) और अत्याधिक खराब (Severe Category) प्रावधानों को 17 अक्टूबर 2017 से 15 मार्च 2018 तक को दिल्ली में लागू होगा चाहे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वायु गुणवत्ता किसी भी स्तर की हो।

और जबकि, वर्गीकृत प्रतिक्रिया कार्य योजना (GRAP) की बहुत खराब श्रेणी के लिए कार्यवाई में डीजल से चलने वाले जनरेटर्स पर रोक सम्मिलित है तथा EPCA ने दिनांक 17.10.2017 को हुई मीटिंग में यह निर्णय लिया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में आवश्यक सेवाओं के लिए उपयोग किए जाने वाले बिजली जनरेटर सेटों को छोड़कर सभी क्षमताओं के डीजल/पेट्रोल/केरोसीन पर चलने वाले बिजली जनरेटर सेट्स के संचालन पर प्रतिबंध होगा।

उपरोक्त तथा वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 (A) के साथ में पठित धारा वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम (संघ शासित प्रदेशों) 1983 के नियम 20 (A) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिल्ली में अत्याधिक वायु प्रदूषण को काबू करने की दृष्टि से दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) ने दिनांक 18.10.2017 के पत्र के द्वारा (प्रतिलिपि DPCC की वेबसाइट **http://dpcc.delhigovt.nic.in** पर उपलब्ध है) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में आवश्यक सेवाओं जैसे कि चिकित्सा हेतु (अस्पताल/नर्सिंग होम/स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं)/Elevators (Lifts)/Escalators और रेलवे सेवाएं/रेलवे स्टेशन/दिल्ली मेट्रो रेल निगम की सेवाएं ट्रेन एवं मेट्रो स्टेशन सहित, हवाई अड्डा एवं अन्तर्राज्यीय बस अड्डे (ISBT) के लिए उपयोग किए जाने वाले बिजली जनरेटर सेटों को छोड़कर सभी क्षमताओं के डीजल/पेट्रोल/केरोसीन पर चलने वाले बिजली जनरेटर्स के संचालन पर प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से 15.03.2018 तक लगा दिया है।

दिनांक 18.10.2017 के पत्र द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के सभी अभिकरणों (सरकारी या निजी) व्यक्तियों/अधिकारियों को भी उपरोक्त आवश्यक सेवाओं के लिए उपयोग किए जाने वाले बिजली जनरेटर सेटों को छोड़कर सभी क्षमताओं के डीजल/पेट्रोल/केरोसीन से चलने वाले बिजली जनरेटर के संचालन को उपरोक्त अवधि में तत्काल प्रभाव से और 15.03.2018 तक रोकने के लिए निर्देश दिए गए हैं।

संबंधित एसडीएम, सहायक पुलिस आयुक्त और नगर पालिका/स्थानीय निकायों के अधिकारी उपरोक्त निर्देशों का पालन करेंगे और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) की E-Mail ID **msdpcc@nic.in** पर दैनिक कार्यवाही की रिपोर्ट भेजेंगे। वायु अधिनियम, 1981 की धारा 31 (A) में दिए गए उपरोक्त दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने पर वायु अधिनियम, 1981 की धारा 37 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।

सदस्य सचिव, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति

DIP/Shabdarth/2399/17-18

पेज नं० 2   नवभारत टाइम्स   दिल्ली   दिनांक 17-11-2017